फ़ाइल सं.: सी-29016/2/2023-सतर्कता

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
सतर्कता इकाई

***

दिनांक: 20 जून, 2024

**परिपत्र**

**विषय: चल- अचल संपत्तियों से संबंधित लेनदेन के संबंध में सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18 के तहत सूचना/अनुमति के संबंध में।**

सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18 के उप-नियम (2) के अनुसार इन नियमों के दायरे में आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर अचल संपत्ति का कोई भी लेन-देन करने से पहले विहित प्राधिकारी को रिपोर्ट करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, यदि लेन-देन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिसका सरकारी कर्मचारी के साथ कोई आधिकारिक लेन-देन हो, तो सरकारी कर्मचारी को विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। उक्त नियम के उप-नियम (3) में प्रावधान है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को चल संपत्ति का कोई भी लेन-देन जिसका मूल्य इस नियम में निर्धारित मौद्रिक सीमाओं से अधिक हो को करने के एक महीने के भीतर विहित प्राधिकारी को सूचना देनी होगी। यदि ऐसा कोई लेन-देन किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो, जिसका सरकारी कर्मचारी के साथ आधिकारिक लेन-देन हो, तो विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी।

2. यह देखा गया है कि इस विभाग के कुछ अधिकारियों द्वारा सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 18(2) और नियम 18(3) के प्रावधानों का पालन नहीं किया जा रहा है।

3. इस विभाग के सभी अधिकारियों से अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि सीसीएस आचरण नियमावली, 1964 के नियम 18(2) और नियम 18(3) में निर्धारित प्रतिबंधों का सख्ती से पालन किया जाए। उक्त प्रावधानों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और इस संबंध में उचित कार्रवाई की जा सकती है।

वी.एस. चौहान 20/06/24

(वी.एस. चौहान)
अवर सचिव, भारत सरकार
फ़ोन: 2338 3634

सेवा में,

1. विधि कार्य विभाग के सभी अधिकारीगण
2. प्रभारी शाखा सचिवालय मुंबई/कोलकाता/चेन्नई/बैंगलोर।
3. केंद्रीय अभिकरण अनुभाग/मुकदमेबाजी (उच्च न्यायालय) अनुभाग/मुकदमेबाजी (निम्न न्यायालय) अनुभाग के प्रभारी